संख्या-150/2020/2492/26-3-2020

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-0104-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु धनराशि के पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-95/ज0जा0वि0/लेखा/2020-21 दिनांक-25.09.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास काय्रक्रमों के संचालन हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **रू0-240.00 लाख** एवं लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन तथा रख-रखाव-41-भोजन मद में **रू0-80.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-320.00 लाख (रू0-तीन करोड़ बीस लाख मात्र)** को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-निदेशक, जनजाति विकास तथा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 वन निगम के प्रबंध निदेशक के मध्य अनुबंध करते हुये कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाय।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(8)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(9)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (75 प्रतिशत केन्द्रांश/25 प्रतिशत राज्यांश) के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

पृ0संख्या-150/2020/2492 (1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम,लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास) विभाग का नाम:–निदेशालय जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2020–21

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–01–0104					
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहायता					
20–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	588.00	588.00	240.00	240.00	348.00
2225–02–796–00–09					
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–09–अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन तथा रख–रखाव					
41–भोजन	440.48	440.48	80.00	80.00	360.48
योग–	**1028.48**	**1028.48**	**320.00**	**320.00**	**708.48**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–01–0111					
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0111–लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु अनुदान					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2225–02–796–01–0111					
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0111–लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु अनुदान					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
योग–	**0.00**	**320.00**	**320.00**	**320.00**	**320.00**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि सीधे केन्द्र द्वारा समिति के खाते में स्थानान्तरित कि जाने के कारण एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय महामारी कोविड–19 के होने के कारण बन्द होने के फलस्वरूप भोजन मद में बचत हुयी है।

(2) स्तम्भ–6 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार) के पत्र संख्या–430/एम0एस0पी0–एम0एफ0पी0/2016–17/20–21/258, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में उपरोक्त वांछित मद में आय–व्ययक में प्राविधान न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–141/दस–2020 दिनांक–26 नवम्बर 2020

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ओम प्रकाश द्विवेदी

विशेष सचिव

वित्त विभाग।

ह0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या–150/2020/2492 (1)/26–3–2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।